

**न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस**

प्रकरण सं० : 140/2022

अनवान :

1. रमेश कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. राजेश कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

:- वादीगण

**बनाम**

1. मोहरसिंह पुत्र मूलाराम जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. राजबाला पुत्री मोहरसिंह जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा हाल निवासी रतनपुरा तहसील भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री पुनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं० 122/139 के मु०न० 163 के कि०न० 6, 15, 16 के प्रत्येक किला की 0.2280है०, कि०न० 24 की 0.2530है०, कि०न० 25 की 0.2280है०, मु०न० 164 के कि०न० 1 ता 4 के प्रत्येक किला की 0.2530है०, कि०न० 6/2 की 0.0380है० कि०न० 7/2 की 0.2020है० कि०न० 8 ता 12 के प्रत्येक किला की 0.2530है० किला नं० 13/2 की 0.2150है० कि०न० 14/2 की 0.0250है० कि०न० 15/2 की 0.2020है० कि०न० 16 की 0.2530है० कि०न० 17/2 की 0.1770है० कि०न० 18/2 की 0.0250है० कि०न० 19/2 की 0.2150है० कि०न० 20 की 0.2530है० कि०न० 21/2 की 0.1900है० कि०न० 22/2 की 0.0380है० कि०न० 23/2 की 0.1900है० कि०न० 24 व 25 प्रत्येक किला की 0.2530है०, मु०न० 170 के कि०न० 2/2 की 0.1640है० कि०न० 3 ता 9 के प्रत्येक किला की 0.2530है० कि०न० 10/2 की 0.1390है० कि०न० 11 ता 16, 24 के प्रत्येक किला की 0.2530है० तथा मु०न० 171 के कि०न० 4 की 0.2530है० कि०न० 5/2 की 0.1260है० वारानी कुल किला 47 की 10.1950है० वारानी में से प्रतिवादी सं० 1 मोहरसिंह के नाम 2767/10195 हिरसा भूमि खातेदारी दर्ज है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 राजबाला ने अपना हक हिरसा वादीगण रमेश कुमार व राजेश कुमार के पक्ष में बहिरसा बराबर त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 मोहरसिंह अकेले की बजाय वादी सं० 1 रमेश कुमार वादी सं० 2 राजेश कुमार को संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं० 1 मोहरसिंह को 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(शकुन्तला चौधरी)  
(फास्ट ट्रेक) आर.एस.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़